SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

आधुनिक हिन्दू विधि, संवैधानिक एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों में नारी

सुजीत कुमार, शोधार्थी, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, झारखण्ड, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
सुजीत कुमार, शोधार्थी
E-mail : sujeetkumar11021996@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 08/01/2025
Revised on : 07/03/2025
Accepted on : 17/03/2025
Overall Similarity : 05% on 08/03/2025

शोध सार

वर्तमान समय में आधुनिक विधियों ने नारियों की स्थिति को सुधारने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिन्दू विवाह अधिनियम,1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,1956, हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, 1994 आदि विधियां स्त्रियों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लेकर आयीं। नारियों को सशक्त बनाने में संवैधानिक प्रावधानों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। संविधान के बहुत सारे अनुच्छेद स्त्रियों के लिए समानता, स्वतंत्रता, अवसरों की समानता तथा मान–सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रावधान करते हैं। आज इन सभी विधियों का सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड बैंक इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत जब आजाद हुआ तब यहाँ स्त्रियों की साक्षरता दर मात्र 9 प्रतिशत थी और आज स्त्रियों की साक्षरता दर 77 प्रतिशत है।

मुख्य शब्द

आधुनिक हिन्दू–विधि, संवैधानिक प्रावधान, नारी, सशक्तीकरण, आर्थिक, समाज.

भूमिका

नारी परिवार एवं समाज की धुरी है। अच्छे परिवारों से मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण होता है तथा अच्छे समाज से एक अच्छे राष्ट्र का उदय होता है। व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो इन सबके मूल में नारी होती है। सशक्त स्त्री से संपन्न परिवार, संपन्न परिवार से सुदृढ़ समाज एवं सुदृढ़ समाज से एक सशक्त राष्ट्र का अभ्युदय होता है। भारतीय संस्कृति राष्ट्र के निर्माण में नारी के महत्त्व को जानती है इसलिए इसने प्रारंभ से ही नारियों की पूजा की है। भारतीय सभ्यता ने नारी के मान–सम्मान को सदा सर्वोपरि रखा है। हाँ, यह अवश्य

है कि बीच के काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में गिरावट आयी, परन्तु स्वतंत्रता–प्राप्ति के पश्चात् स्त्रियों की गरिमामय स्थिति को पुर्नबहाल करने के लिए अनेक विधि–विधान पारित किये गए। स्त्रियों को पुरुषों के समान स्तर पर लाने में संविधान की भी महती भूमिका रही है। प्रस्तुत आलेख में उन सभी विधि–विधानों एवं संविधान के प्रावधानों की संक्षेप में चर्चा की जा रही है।

अंग्रेजों के समय से ही भारत में स्त्रियों की दशा में सुधार के कार्यक्रम प्रारंभ हो गए थे। तत्कालीन समाज–सुधारकों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। राजा राम मोहन राय जो आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं, उनके अथक प्रयास से 1829 ईस्वी में लार्ड विलियम बेंटिक ने सती–प्रथा के विरूद्ध कानून लाकर सती–प्रथा जैसे अमानवीय कृत्य को प्रतिबंधित कर दिया। इसी प्रकार 1856 में विधवा–पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी गयी। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लार्ड कैनिंग थे। लार्ड डलहौजी ने "हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856" का मसौदा तैयार किया था। इस अधिनियम की स्थापना में ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका रही थी। "बाल विवाह निरोधक अधिनियम,1929" के द्वारा बाल विवाह पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इस अधिनियम ने 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह को दण्डित किया। बाद में बाल–विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के द्वारा लड़कियों की उम्र–सीमा बढ़ाकर 18 कर दी गयी और लड़कों की उम्र–सीमा बढ़ाकर 21 कर दी गयी। 1937 में "हिन्दू महिलाओं का संपत्ति में अधिकार अधिनियम" पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा यह विधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयत किये मर जाता है तो उसकी विधवा अपने पुत्र के साथ उसकी संपत्ति की हक़दार होगी। पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पूर्व मृत पुत्र का पुत्र भी संपत्ति के उत्तराधिकारी बनेंगे। हांलाकि इस अधिनियम ने स्त्रियों को संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व नहीं दिया क्योंकि महिलाएं अभी भी संपत्ति को अलग करने के अधिकार से वंचित थीं। वे केवल स्त्रियों कि संपत्ति के रूप में संपत्ति का भोग कर सकती थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने विधवा को भोजन और आश्रय के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। इस अधिनियम की सबसे बड़ी खामी यह थी कि यदि पति वसीयत करके मर जाता है और वसीयत में अपनी पत्नी को भी संपत्ति का हक़दार घोषित नहीं किया है तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा को संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इस कमी को बाद में 1956 के "हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम" में दूर कर दिया गया। 1956 में ही "अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम" पारित किया गया जिसका उद्देश्य वेश्यावृत्ति पर लगाम लगाना था और यौन शोषण को रोकना था। इस अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो वेश्यालय चलाता है या प्रबंधित करता है या रखने या प्रबन्धन में कार्य करता है या सहायता करता है, उसे पहली बार दोषी ठहराए जाने पर कम से कम एक वर्ष और अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 1976 में "समान पारिश्रमिक अधिनियम" पारित किया गया। इस कानून ने महिला और पुरुष कर्मियों को पारिश्रमिक एवं रोजगार की अन्य शर्तों के मामलों में समान स्तर पर लाकर खड़ा किया। समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर यह कानून आश्रित था। "मेडिकल टर्मिनल ऑफ़ प्रेगनेंसी एक्ट, 1971" ने गर्भपात को कानूनी मान्यता प्रदान किया। गर्भपात से जुड़े सांस्कृतिक,सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तथा स्त्रियों के स्वास्थ्य एवं जीवन से संबंधित खतरों को कम करने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया। इसमें 20 सप्ताह तक के गर्भ का गर्भपात कराया जा सकता था। 2021 में इस एक्ट में संशोधन करके गर्भपात की सीमा बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई। "लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम,1994" ने जन्म–पूर्व लिंग–निर्धारण संबंधी जांचों को गैरकानूनी ठहराया है और इसके लिए दण्ड का विधान भी किया है। "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम,2013" जैसा कि नाम से स्पष्ट है यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं से साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के रोकथाम एवं निवारण का विधान करता है। "राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति,2001" महिलाओं को सशक्त करने के लिए एवं महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए सकारात्मक आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के माध्यम से ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना चाहती है जिससे उन्हें अपने सामर्थ्य का ज्ञान हो सके और वे विकास के इस युग में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें।1993 में संविधान का 73वां तथा 74वां संशोधन किया गया जिसके तहत पंचायत तथा नगर निकाय के चुनावों में महिलाओं को एक– तिहाई आरक्षण

प्रदान किया गया। महिलाओं के कानूनी अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा महिलाओं को अन्याय तथा शोषण से बचाने के लिए 'राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम,1990' के द्वारा 31 जनवरी 1992 को 'राष्ट्रीय महिला आयोग' की स्थापना की गई। इस आयोग का कार्य है– आमतौर पर स्त्रियों को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना। इसका मुख्य उद्देश्य है– महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना और स्त्रियों के मुद्दों और चिंताओं के लिए उन्हें आवाज़ प्रदान करना।[1] 2023 में महिला आरक्षण विधेयक जिसे 'संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023' पारित करके महिलाओं को संसद एवं राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है ताकि नीति– निर्माण में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। इस प्रकार से आधुनिक विधि–विधानों के प्रावधानों और संविधान के अनुच्छेदों के फलस्वरूप वर्तमान समय में स्त्रियों के जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब हम आधुनिक हिन्दू विधि के कुछ महत्त्वपूर्ण विधानों को देखेंगे जिन्होंने स्त्रियों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिन्दू विवाह अधिनियम,1955 के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रावधानों को देखते हैं। यह अधिनियम प्रावधान करता है कि हिन्दुओं में बहुविवाह मान्य नहीं है।[2] बहुविवाह का मतलब बहुपत्नी तथा बहुपति प्रथा दोनों से है, परन्तु समाज में बहुपत्नी प्रथा ही अधिक प्रचलित थी। बहुपति प्रथा केवल कुछ पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित थी, जैसे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के कई गाँवों में, दक्षिण भारत की नीलगिरि पहाड़ियों में रहने वाले टोडा नाम के आदिवासी समुदाय में, उत्तराखंड के देहरादून जिले के जनसौर–बावर क्षेत्र में।[3] इस नियम के आ जाने से स्त्रियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन प्राप्त हुआ है। इस अधिनियम के अंतर्गत यह कहा गया है कि वर या वधू पक्ष तब तक विवाह के योग्य नहीं होते जब तक वे विवाह के लिए अपनी विधिमान्य सम्मति देने में समर्थ न हों। इस नियम से स्त्रियों को यह लाभ हुआ कि अब विवाह उन पर थोपा नहीं जा सकता है, उनकी सहमति के बिना उनका विवाह नहीं कराया जा सकता है।[4] यह अधिनियम प्रावधान करता है कि चित्त विकृति के परिणामस्वरूप सम्मति देने में असमर्थ पुरुष या स्त्री विवाह के योग्य नहीं हो सकते। इससे स्त्रियों को यह लाभ हुआ कि अब किसी भी लड़की का विवाह किसी विकृत चित्तवाले या विकृत्त मस्तिष्कवाले या उन्मत्त (पागल) या मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति के साथ नहीं कराया जा सकता है। यदि धोखे से ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह कराया भी जाता है तो ऐसा विवाह मान्य नहीं होगा।[5] यह अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि किसी भी लड़की का विवाह 18 साल से पहले नहीं कराया जा सकता है।[6] बाल–विवाह पर रोक लग जाने से लड़कियां अब 18 साल तक अपना स्वतंत्र रूप से शैक्षिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास कर सकती हैं। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 कुछ विशेष परिस्थितियों में विवाह–विच्छेद का भी प्रावधान करता है। विस्तार–भय से उन विशेष परिस्थितियों का यहाँ वर्णन नहीं किया जा रहा है। पति–पत्नी परस्पर सहमति से भी विवाह–विच्छेद कर सकते हैं।[7] स्त्रियों के हित में मील का पत्थर साबित होते हुए 'हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम,2005' ने वो कर दिखाया जिसका इंतज़ार स्त्रियाँ सदियों से कर रही थीं इस अधिनियम ने पुत्री को पैतृक संपत्ति में पुत्र के समान अधिकार प्रदान कर दिया।[8]

आधुनिक हिन्दू विधि के तहत दो हिन्दू विधियों के द्वारा स्त्रियों को भरण–पोषण एवं संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया हैः

क) हिन्दू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम, 1956।

ख) हिन्दू विवाह अधिनियम,1955

क) **हिन्दू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के तहत भरण–पोषण एवं संरक्षणः** इस अधिनियम को HAMA (HinduAdoption & Maintainance Act, 1956) के नाम से भी जाना जाता है। हिन्दू दत्तक एवं भरण–पोषण अधिनियम,1956 की धारा18 पत्नी के भरण– पोषण का प्रावधान करती है। हामा,1956 की धारा 18 की उपधारा (1) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है किः

१. पति का यह अनिवार्य कर्त्तव्य है कि वह अपनी पत्नी का भरण–पोषण करे अर्थात् पति अपनी पत्नी का भरण–पोषण करने के लिए बाध्य है।

२. पति का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वह अपनी पत्नी का भरण–पोषण विवाह से लेकर पूरे वैवाहिक संबंध के दौरान करता रहे।

३. पति अपनी पत्नी के भरण–पोषण के दायित्व से तभी मुक्त होता है जब उसकी पत्नी बिना किसी उपयुक्त कारण या बिना उसकी सहमति के उसे छोड़ देती है। धारा 18 (2) में उन आधारों की सूची प्रदान की गई है जिसमें यह बताया गया है कि कब एक पत्नी अपने पति से अलग रह सकती है और फिर भी भरण–पोषण का दावा कर सकती है। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) हिन्दू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act, HMA),1955 के अन्तर्गत दो प्रकार के भरण–पोषण का दावा किया जाता है:

1. HMA, 1955 की धारा 24 (अस्थायी भरण–पोषण/वाद कालीन भरण–पोषण)।

2. HMA, 1955 की धारा 25 (स्थायी भरण–पोषण)।

भारतीय संविधान ने स्त्रियों को अनेक संवैधानिक अधिकार दिए हैं जिससे समाज में उनकी स्थिति बहुत दृढ़ हुई है। संविधान का अनुच्छेद 14 महिलाओं को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है एवं उनके लिए क़ानून के समान संरक्षण का अधिकार देता है।[9] अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य अपने किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल , जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इस अनुच्छेद से स्पष्ट पता चलता है कि संविधान स्त्री–पुरुष के बीच किसी प्रकार के भेदभाव की अनुमति नहीं देता है।[10] इसी अनुच्छेद 15 के अनुसार ही राज्य को संविधान यह अनुमति प्रदान करता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है।[11] अनुच्छेद 16 रोजगार के मामलों में अथवा राज्य के अंतर्गत किसी कार्यालय में नियुक्ति के लिए अवसर की समानता की बात करता है। तात्पर्य यह है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ रोजगार या राज्य के अधीन कार्यालयों में नियुक्ति के लिए धर्म,नस्ल, जाति,लिंग, वंश, जन्मस्थान या निवासस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है।[12] संविधान ने पुरुषों के साथ– साथ महिलाओं को और यूँ कहें तो देश के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति और विचारों की स्वतंत्रता प्रदान की है। अब स्त्रियाँ भी खुलकर अपने विचारों को प्रकट कर सकती हैं, अपना संगठन बना सकती हैं, देश में कहीं भी आवागमन कर सकती हैं, अपनी आजीविका के लिए कोई भी वैध पेशा, कार्य, व्यापार और वाणिज्य कर सकती हैं।[13] अतः इस अनुच्छेद ने स्त्रियों को ऊंची उड़ान लगाने के लिए मजबूत पंख दिया है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत/निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार, आश्रय का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरूद्ध अधिकार, शीघ्र सुनवाई का अधिकार तथा महिलओं को शालीनता और सम्मान के साथ व्यवहार करने का अधिकार आदि अनेक अधिकार आते हैं। इस अनुच्छेद ने महिलाओं के सशक्तीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम (बेगार) का निषेध करता है। यह अधिकार व्यक्ति को न केवल राज्य से बचाता है बल्कि निजी व्यक्तियों से भी बचाता है। इन कृत्यों को दण्डित करने के लिए संसद के द्वारा अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 पारित किया गया गया है। यह अधिनियम महिलाओं को शोषण से बचाता है। अनुच्छेद 25–28 के द्वारा पुरुष–स्त्री दोनों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 29–30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार तथा अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार पुरुष–स्त्री दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। अनुच्छेद 39 में पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात कही गई है। अनुच्छेद 42 मातृत्व अवकाश की बात करता है। अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य समाज के दुर्बल लोगों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहेगा और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से रक्षा करेगा। यह हमारा दायित्व है कि हम अपनी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्त्व को समझते हुए अनुच्छेद 51। के अनुसार इस प्रकार की प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के मान–सम्मान के विरूद्ध हों।[14] अनुच्छेद 325 के अनुसार निर्वाचक नामावली में स्त्री–पुरुष दोनों को समान रूप से सम्मिलित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।[15]

निष्कर्ष

आधुनिक हिन्दू विधि, संवैधानिक प्रावधानों एवं भारतीय संसद द्वारा पारित अन्य वैधानिक प्रावधानों ने स्त्रियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक उत्थान में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक विधियों और संविधान के अनुच्छेदों में स्त्रियों की तत्कालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रावधान किये गये जिससे स्त्रियाँ पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें जिसका परिणाम आज प्रत्यक्ष है, स्त्रियाँ प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं और न केवल उपस्थिति दर्ज करा रही हैं प्रत्युत नित्य नये–नये कीर्तिमान रच रही हैं। दुनिया की शीर्ष टैक्स व एडवाइजरी फर्म 'ग्रांट थॉर्नटन' की वार्षिक 'वीमेन इन बिजनेस 2025' रिपोर्ट के अनुसार बीते दो दशक में भारत में शीर्ष पदों पर महिलाओं की संख्या तीन गुना बढ़ी है। 2004 में जहां कंपनियों में शीर्ष पदों पर 11.7 प्रतिशत स्त्रियाँ थीं वहीं 2025 में यह बढ़कर 36.5 प्रतिशत हो गयी है। यह जानकर अत्यन्त हर्ष होगा कि भारत में शीर्ष पदों पर नारियों का औसत शेष संसार से अधिक है। दुनियाभर में 34 प्रतिशत स्त्रियाँ कंपनियों में शीर्ष पदों पर हैं तो भारत में 36.5 प्रतिशत महिलाएं कंपनियों में शीर्ष पदों पर हैं।[16]

सन्दर्भ सूची

1. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990, अध्याय 3, धारा 10।
2. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, धारा 05, उपधारा 01।
3. हिन्दू विवाह के प्रकार (1.6), विवाह तथा विवाह में आधुनिक परिवर्तन (इकाई 1), समाज शास्त्र का परिचय –।।, MASO – 505, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, 2020।
4. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, धारा 05, उपधारा 02।
5. वही
6. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, धारा 05, उपधारा 03।
7. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, धारा 07।
8. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, धारा 06।
9. भारतीय संविधान, 1950, भाग 03, अनुच्छेद 14।
10. वही, अनुच्छेद 15।
11. Laxmikanth, M (2017) *Indian Polity,* Mc Graw Hill Education (India) Private Limited, Chennai, Fifth Edition, p.7-6.
12. भारतीय संविधान, 1950, भाग 03, अनुच्छेद 16।
13. वही, भाग 03, अनुच्छेद 19।
14. वही, भाग 04, अनुच्छेद 51 (म)।
15. वही, भाग 15, अनुच्छेद 325।
16. टैक्स व एडवाइजरी फर्म ग्रांट थॉर्नटन की सालाना वीमेन इन बिजनेस 2025 रिपोर्ट।

****